न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

राज्य।
बनाम
मकान (कमरा) मालिक, (अर्चना पाण्डेय)

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा,
केस का प्रकार–

केस संख्या– **502 / 2020–21,**
बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियिम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त मकान (कमरा) के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	–: आदेश :– प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा के पत्रांक– 1119 / म0नि0 एवं दिनांक–05.10.2020 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव उत्पाद विभाग द्वारा दर्ज विशेष वाद संख्या– 338 / 2020, में जप्त मकान (कमरा) के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित घटना का स्थान–पशुपालन कॉलोनी आदर्श सोसाइटी शिव मंदिर से आगे वार्ड नं0 01, थाना–सदर, घटना की तिथि–27.08.2020 के साथ वर्णित है कि– "गुप्त सूचना मिली कि राजा भगत एवं राजकुमार सिंह पशुपालन कॉलोनी आदर्श सोसाईटी नीयर पुलिस लाईन शिव मंदिर के पास एक घर में अवैध विदेशी शराब का भंडारण कर कारोबार करते है। इस सूचना के आलोक में अधीक्षक म0नि0 सहरसा के पर्यवेक्षण में अपने सहयोगियों अ0नि0म0नि0 सदर, सि0 बख्तियारपुर अंचल एवं प्रहार बल के साथ अपने अधीनस्थ उत्पाद कर्मी एवं प्रतिनियुक्त सैप व बिहार गृह रक्षक साथ उपर्युक्त अंकित स्थान व समय लगभग सवा बारह बजे पहुँचने पर उक्त घर (घटनास्थल) के पास से पुलिस बल को देखकर दो व्यक्ति भागा। गुप्त सूचक के अनुसार बताया गया घर राजा भगत के घर से सटे दक्षिण वाला घर जो तीन कमरा वाला ईट से बना था। जिसमें ताला लगा हुआ था, पर खिड़की वाला कमरा का खिड़की खोलकर देखने पर उसमें विदेशी शराब दिखाई दिया। वहाँ उपसिथत गवाहो एवं ग्रामीणों के समक्ष शराब वाले कमरे का विधिवत् ताला तोड़ा। उसके उपरांत कमरा की विधिवत तलाशी के क्रम में कमरा से Blender pride के 750 एम०एल० का 80 पीस, Blender pride के 180 एम०एल० 48 पीस Signature Brand के 375 एम०एल० का 90 पीस Signature Brand के 750 एम० एल० का 51 पीस एवं RS Brand के 35 पीस कई बोरों में बंधा था। घर के स्वामीत्व के बारे में उपस्थित गवाह	

एवं ग्रामीणों ने बताया कि विगत दस वर्षों से इस घर में नहीं रह रहें हैं एवं घर स्वामीत्व के नाम एवं पता की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सका। पर अवैध विदेशी शराब राजा भगत एवं राजकुमार सिंह के कब्जे का बताया गया। जिसकी पुष्टि उपस्थित गवाहों एवं ग्रामीणों ने भी की। घटनास्थल पर पहुँचने के क्रम में पुलिस को देखकर भागे दोनों व्यक्तियों की पहचान उपस्थित गवाह एवं ग्रामीणों के द्वारा राजा भगत एवं राजकुमार सिंह के रूप में की गई। तत्पश्चात् बि०म०नि० व उत्पाद संशो० अधि० 2018 की धारा 30(ए) के अंतर्गत अवैध उत्पाद प्रदर्श को जप्त करते हुए जप्त नमूना प्रदर्श तैयार किया गया एवं शराब बरामद वाला कमरा को विधिवत् सीलबंद किया। सारी आवश्यक कानूनी कार्रवाई विधिवत घटनास्थल पर सम्पन्न करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध फरार अभियोग दर्ज किया। जप्ती सूची की एक प्रति उक्त घर के बाहरी दिवार पर चिपका दी गई एवं घटना से संबंधित अन्य व्यक्तियों की पहचान के लिए अनुसंधान जारी है। नाम पता चलने पर आरोप पत्र में दर्ज कर आरोप पत्र समर्पित किया जाएगा।"

प्राप्त प्रस्ताव में उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए सील बन्द कमरा(मकान) का चौहद्दी उत्तर–राजा भगत का घर, दक्षिण–खेत (खाली स्थान), पूरब–सड़क, पश्चिम–खेत का अधिहरण करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त मकान (कमरा) के अधिहरण के बिन्दु पर मकान (कमरा) मालिक को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया।

मकान (कमरा) मालिक अर्चणा पाण्डेय, पति– रास बिहारी पाण्डेय, साकिन व पो0–परसिया, थाना–ब्रहमपुर, जिला–बक्सर द्वारा भी उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

मकान (कमरा) मालिक का कहना है कि वे साकिन व पो0–परसिया थाना–ब्रहमपूर, जिला–बक्सर का स्थायी निवासी है। प्रतिवादी के पति जो कि पुलिस उप महानिरीक्षक, कोशी क्षेत्र सहरसा के कार्यालय में कार्यरत थे, जिन्होंने वर्ष 2005 ई0 में सहरसा जिला स्थित पशुपालन कॉलोनी, आर्दश सोसाइटी वार्ड नं0 01, शिव मन्दिर से आगे मेरे नाम से जमीन खरीदगी की। जमीन खरीदगी के बाद आवेदिका के पति ने उक्त जमीन पर घर बनवाया। कुछ दिन रहने के बाद आवेदिका के पति रास बिहारी पाण्डेय का स्थानान्तरण रेल जिला मुजफ्फरपुर में सी0आर0पी0 में हो गया तो उनके पति अपने सहरसा पशुपालन कॉलोनी स्थित मकान को ताला लगा कर पूरे परिवार के साथ मुजफ्फरपुर चले गए तथा परिवार के साथ वहीं रहने लगे। दस साल के दरम्यान प्रतिवादी के पति कभी–कभी अपने मकान को देखने आते थे। मार्च 2020 के बाद से कोविड 19 के चलते आवेदिका के पति को छूट्टी उपलब्ध नहीं होने के कारण वो अपना सहरसा स्थित मकान देखने नहीं आ सके।

प्रतिवादी का आगे कहना है कि कोविड 19 में सारा गतिविधि बन्द होने का फायदा उठाकर उनके सहरसा स्थित मकान के

पड़ोसी किवाड़ का ताला तोड़कर उसका गलत उपयोग किया। जिसकी जानकारी न तो उन्हें और न ही उनके पति को हो सकी। उपरोक्त वाद के अभियुक्त लोग नाजायज तरीके से उनके रूम का उपयोग किया जो की सरासर गलत कार्य है। प्रतिवादी एवं उनके पति जब अखबार में इस तरह का खबर देखे तो प्रतिवादी के पति सहरसा आकर एक आवेदन उपरोक्त थाना काण्ड के अभियुक्तो के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु उत्पाद अधीक्षक सहरसा को दिए थे। प्रतिवादी का किसी भी प्रकार का कोई भी दोष अपरोक्त वाद में नहीं है जैसा कि उपरोक्त वाद के प्राथमिकी एवं सीजर लिस्ट में भी उपस्थित गवाह एवं ग्रामीणों ने कहा है कि विगत दस वर्षो से इस घर का स्वामी इस घर में नही रह रहे हैं।

प्रतिवादी का पुनः कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना ने अशोक सहनी के केस में यह निर्णय दिया है कि अगर मकान मालिक के अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति उनके अनुपस्थिति में किसी भी प्रकार का उत्पाद प्रोडक्ट रखता है तो उस कारण उसके मकान की नीलामी नहीं किया जा सकता है। उत्पाद विभाग द्वारा न्यायालय में भेजे गये प्रतिवेदन को देखने से स्पष्ट होता है कि विपक्षी का मकान विगत 10 सालों से खाली था और मकान मालिक यानि कि प्रतिवादी अपने पति के साथ रहती थी। उनके पति बिहार सरकार में सशस्त्र पुलिस बल के रूप में कार्यरत हैं तथा उनका स्थानान्तरण बराबर विभिन्न जिलों में विभिन्न थाना में होता रहता है तथा वर्त्तमान में वे बिहटा थाना में पदस्थापित है। इनके विरोधियों द्वारा इनके अनुपस्थिति में इनके घर का ताला तोडकर उनमें उत्पाद समान को रखा गया था, जिसकी जानकारी उन्हें यह मुकदमा दायर करने के बाद मालूम हुआ।

इस प्रकार अंततः इनका कहना है कि वे एक कानून पसन्द व्यक्ति हैं। उनके पति स्वयं बिहार पुलिस में कार्यरत है तथा उनलोगों के उपर आज तक किसी भी प्रकार का अपराधिक मुकदमा किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। अतः इनके ओर से अनुरोध किया गया है कि इस वाद का आदेश उनके पक्ष में पारित किया जाय तथा उत्पाद विभाग द्वारा इनके मकान में जो ताला लगाया गया है, उस ताले को खोलकर इनके अधिकार में मकान को दे दिया जाय ताकि ये अपने पति के साथ पति के कार्य स्थल पर शान्तिपूर्वक रह सके।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि जप्त मकान (कमरा) का प्रयोग शराब के अवैध भंडारण में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, अधीक्षक उत्पाद सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त मकान (कमरा) को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना।

जप्त परिसर में अत्यधिक मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी होना उक्त परिसर को अधिहरण करने हेतु पर्याप्त कारण है। परन्तु परिसर के मालिक द्वारा लिखित प्रतिवेदन में समर्पित तथ्य से यह स्पष्ट है कि गृह स्वामी पिछले दस वर्षो से उक्त मकान में लगातार निवास नहीं कर रहे थे। गृह स्वामी के पति को सरकारी विभाग में सेवा रहने के कारण उनका स्थानांतरण एवं पदस्थापन विभिन्न कार्यालयो में होता रहा है एवं नियमित अंतराल पर इनके द्वारा उपरोक्त मकान में आकर रख–रखाव किया जाता रहा है, जो कोविड महामारी के कारण लगाने गये Lockdown अवधि में नहीं किया गया। इसी का लाभ उठाकर प्राथमिकी अभियुक्तो द्वारा उक्त जप्त परिसर का प्रयोग अवैध तरीके से अवैध शराब के कारोबार हेतु किया गया। कांड के वादी द्वारा भी मकान मालिक के पिछले 10 सालो में निवास नहीं करने के तथ्य को अपने प्रतिवेदन में अंकित किया है। ऐसी स्थिति में गृह स्वामी को संदेह का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उक्त जप्त परिसर को मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

26/1/2021
समाहर्त्ता
सहरसा।

26/1/2021
समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक 113 /न्याया०, सहरसा, दिनांक 28.01.21

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

28.01.21
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
28/01/21.